

सीमाशुल्क आयुक्त (आयात-II) का कार्यालय,

नवीन सीमाशुल्क भवन, बेलार्ड इस्टेट, मुंबई-400 001

फा.सं.आरटीआई/आयात - II-87/2018-19

आदेश की तिथि : 31/01/2019

जारी करने की तिथि : 31/01/2019

द्वारा पारित आदेश : श्री अशोक एम.नाईक
केन्द्रीय जन सूचना अधिकारी, (सी पी आई ओ)
सहायक आयुक्त सीमाशुल्क (आयात-II)
नवीन सीमाशुल्क भवन, मुंबई-400 001

आदेश सं. 75 /2019

प्रस्तावना

1. यह प्रति जिरा यह जारी की गई है के उपयोग के लिए निःशुल्क है।
2. इस निर्णय के विरुद्ध, प्रथम अपीलीय प्राधिकारी, संयुक्त आयुक्त सीमाशुल्क (आयात-II), प्रथम तल, नवीन सीमाशुल्क भवन, बेलार्ड इस्टेट, मुंबई- 400 001 के समक्ष अपील की जा सकती है।
3. सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005, की धारा 19 के अनुसार इस निर्णय की प्राप्ति के 30 दिनों के अंदर अपील की जा सकती है।
4. अपील व्यक्तिगत रूप से संयुक्त आयुक्त सीमाशुल्क (आयात-II), प्रथम तल, नवीन सीमाशुल्क भवन, बेलार्ड इस्टेट, मुंबई- 400 001 या उनकी ओर से अधिकृत किसी अधिकारी के समक्ष रखी जाए।

विषय : सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 के तहत श्री जसवंत सिंह, पुत्र श्री वेद प्रकाश

द्वारा दायर आवेदन दिनांक 20.11.2018 – संदर्भित।

1. सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 के तहत श्री जसवंत सिंह, पुत्र श्री वेद प्रकाश, टैगोर भवन, ब्लॉक-सी, कमरा सं.14, कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय, कुरुक्षेत्र हरियाणा -136 119 (आगे से आवेदक के रूप में संबोधित) द्वारा दायर आवेदन दिनांक 20.11.2018 जो इस विभाग में दिनांक 02.01.2019 को सी. पी. आई.ओ.सहायक आयुक्त/मुख्य आयुक्त कार्यालय, अंचल-I, देखें: फा.सं.एस/V-30(02)/2019/सीसीओ- II/एकक-1/104, से प्राप्त हुआ।
2. आवेदक द्वारा सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 के अंतर्गत निम्न सूचना चाही गई है -
 - i. हमारे देश में किन-किन देशों से सिगरेट आयात की जाती है तथा वे किन-किन ब्राण्ड की हैं एवं इन पर कितना सीमाशुल्क लगता है?
 - ii. क्या ये सिगरेट सी ओ टी पी ए अधिनियम, 2003 की सभी धाराओं का पालन करती हैं ?

ii. यदि ये सिगरेट सी ओ टी पी ए अधिनियम, 2003 की सभी धाराओं का पालन नहीं करती हैं तो कृपया इसकी उल्लंघन की प्रकृति को निर्दिष्ट करें।

iv. यह उल्लंघन विभाग की जानकारी में पहली बार कब आया।

v. वे कौन से ऐसे विभागीय दिशानिर्देश हैं जिनके अंतर्गत विभाग ऐसे उल्लंघन के विरुद्ध कार्यवाही प्रारम्भ कर सकता है?

vi. क्या इसके अंतर्गत विभाग ने ऐसे उल्लंघन के विरुद्ध कार्यवाही प्रारम्भ की है?

vii. क्या इसके अंतर्गत विभाग ने ऐसे उल्लंघन के विरुद्ध कार्यवाही प्रारम्भ की है यदि हाँ तो कृपया इसे विस्तार से बताएं। कोई जांच की गई हो तो कृपया जांच रिपोर्ट की एक प्रति उपलब्ध कराएं।

viii. यदि विभाग की ओर से कोई कदम नहीं उठाए गए हैं तो विभाग की इस उदासीनता का कारण बतायें।

ix. कृपया ऐसे अधिकारियों के नाम, पदनाम, व संपर्क बताएं जो इस संबंध में कार्रवाई कर सकते हैं।

3. उपरोक्त के संबंध में सूचित किया जाता है कि संबन्धित अनुभागों से सूचनाएँ मंगाई गईं तथा उनके समुचित जांच के उपरांत पाया गया कि संबन्धित सूचना का संबंध इस आयुक्तालय से नहीं है अतः यह सूचना संभव नहीं हो सकता।

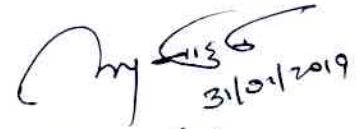
4. सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005, की धारा 19(1) के अनुसार इस निर्णय के विरुद्ध प्रथम अपीलीय प्राधिकारी के समक्ष अपील की जा सकती है।

प्रथम अपीलीय प्राधिकारी का नाम व पता

श्री राजेश कोठारी
संयुक्त आयुक्त सीमाशुल्क (आयात -II)
नवीन सीमाशुल्क भवन,
मुंबई- 400 001

आदेश

5. तदनुसार आवेदन का निपटान किया जाता है।


31/01/2019

(अशोक एम. नाईक)

केन्द्रीय जन सूचना अधिकारी, (सी. पी. आई.ओ.)

सहायक आयुक्त सीमाशुल्क (आयात-II)

कार्यालय प्रतिनिधि

प्रतिलिपि प्रेषित-

1. श्री जसवंत सिंह, पुत्र श्री वेद प्रकाश,
टैगोर भवन, ब्लॉक-'सी', कमरा सं. 14,
कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय,

कुरुक्षेत्र हरियाणा -136 119

2. संयुक्त आयुक्त सीमाशुल्क (आयात -II)

नवीन सीमाशुल्क भवन,

मुंबई- 400 001

3. सी. पी. आई.ओ.

सहायक आयुक्त/मुख्य आयुक्त कार्यालय,

अंचल- I

नवीन सीमाशुल्क भवन, बेलार्ड इस्टेट, मुंबई-400 001

इनकापी डाक द्वारा जारी किया गया।
वेबसाईट पर अपलोड किया गया। 31/01/2019 (E771571664601)
वर्तित कर प्रत्येक (आय.टी.एस. (आय.टी.एस.))



केंद्रीय जनसूचना अधिकारी
अप्रमदा नर और सीमा शुल्क
(सीनीआईसी), राजस्व विभाग
वित्त मंत्रालय, नार्म व लॉक
नई दिल्ली - I - 110001



विषय: सूचना के अधिकार कानून, 2005 के अंतर्गत आवेदन।

महोदय,

कृपया निम्नलिखित सूचनाएं उपलब्ध कराएं:-

- हमारे देश में किन-किन देशों से सिगरेट आयात की जाती है, वी किन-किन ब्रान्ड की है और उन पर कितना सीमा शुल्क लगता है।
- क्या वे सिगरेटें COTPA अधिनियम - 2003 की सभी धाराओं का पालन करती हैं।
- यदि वे सिगरेटें COTPA अधिनियम - 2003 की किसी धारा का पालन नहीं करती तो कृपया इसके उल्लंघन की प्रकृति को निर्दिष्ट करें।
- यदि उल्लंघन पहली बार विभाग की जानकारी में कम होगा।
- वे कौन से विभागीय दिशानिर्देश हैं, जिनके अंतर्गत विभाग ऐसे उल्लंघनों के विरुद्ध कार्यवाही प्रारम्भ कर सकता है।
- क्या विभाग ने इन उल्लंघनों के विरुद्ध कोई जांच या कार्यवाही प्रारम्भ की।
- ऐसे उल्लंघनों के विरुद्ध कार्यवाही प्रारम्भ करने के लिए विभाग द्वारा अपनाई जाने वाली प्रक्रियाओं को विस्तार से बताएं। यदि कोई जांच की गई हो तो कृपया जांच रिपोर्ट की एक प्रमाणित प्रतिलिपी उपलब्ध कराएं।
- यदि कोई कदम नहीं उठाए गए हैं, तो कृपया विभाग की इस अवसिति के कारण बताएं।
- कृपया उन पदाधिकारियों के नाम, पद तथा संपर्क की जानकारी उपलब्ध कराएं, जो ऐसे उल्लंघनों के विरुद्ध कार्यवाही करने के लिए उत्तरदायी हैं।

धन्यवाद।

RTI कीस 10 रुपये के डिजिटल पोस्टल आर्डर द्वारा दिया गया है।

प्रार्थना:-

जसवंत सिंह S/o. वेद प्रकाश
पता - टैगोर भवन, ब्लॉक - C
कमरा नं० - 14 एनएच
विश्वविद्यालय कुरुक्षेत्र
(हरियाणा)

PIV - 136119

मोबाइल नं० - 8750267467

संलग्न
TASWANT
20/11/2018

458507
20/11/2018
723372